( राजस्थान–सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 63 / 2023**

**बउनवान**

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

**बनाम**

1. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रमेशचंद वैष्णव जाति वैष्णव निवासी बटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स कुणाल रेस्टोरेन्ट, पुलिस थाने के सामने, मांगरोल जिला बारॉ (राज.)
2. मैसर्स कुणाल रेस्टोरेन्ट, पुलिस थाने के सामने, मांगरोल जिला बारॉ (राज.)

(अप्रार्थीगण)

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 –52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री रूपेन्द्र सिंह अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

**निर्णय दिनांक 30.10.2023**

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.03.2023 को मैसर्स कुणाल रेस्टोरेन्ट, पुलिस थाने के सामने, मांगरोल जिला बारॉ(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रमेशचंद वैष्णव(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक एच / एफएसएसए / एफ–28 / नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 से ब्रास सील संख्या 61 तथा आदेश दिनांक 09.06.2022 द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **दूध पाक** एक स्टील टिन में लगभग 03 कि.ग्रा. आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **दूध पाक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **दूध पाक** 02 कि.ग्रा. साफ ट्रे में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रमेशचंद वैष्णव(विक्रेता एवं मालिक) को 960 /– रूपये (अक्षरे नौ सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दूध पाक** को स्टील के भगोने में एकरूप कर चार साफ–सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–बराबर [illegible] प्रत्येक [illegible] की 40–40 बूंद डालकर एयरटाईट बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल प[illegible].आ[illegible] कोड एवं कमांक ए.एच.–1726 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक अथवा [illegible] के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. [illegible] की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1726 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग [illegible] गे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक [illegible] स्ताक्षर नियमानुसार इस [illegible] करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रमेशचंद वैष्णव(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/126 दिनांक 24.03.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 312/PHL/kota/Act/2023/314 दिनांक 19.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **दूध पाक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz)(iv)&(vi) के तहत **असुरक्षित(Unsafe)** होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः रेफलर लैब सीएफटीआरई मैसूर से करवायी गई जिनके जॉच सर्टिफिकेट संख्या FT/AQCL/FSSA(444F)/2023 दिनांक 19.06.2023 के अनुसार धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 11.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **दूध पाक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा **3(1)(zx)** के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा** दौराने बहस कथन किया गया कि अप्रार्थी बाजार से दूध खरीदता है तथा उसी से खाद्य पदार्थ दूध पाक तैयार करता है जिसमें उसके द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज फरमाया जावें।

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि रेफलर लैब सीएफटीआरई मैसूर की जॉच सर्टिफिकेट संख्या FT/AQCL/FSSA (444F)/2023 दिनांक 19.06.2023 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

**प्रकरण में उभयपक्ष की** अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **दूध पाक** रेफलर लैब सीएफटीआरई मैसूर की जॉच सर्टिफिकेट संख्या FT/AQCL/FSSA(444F)/2023 दिनांक 19.06.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा **3(1)(zx)** के तहत **अवमानक(Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 25,000/– रूपये(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2023 को मेरे द्वारा [illegible] जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:26:07 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)